भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1235

जिसका उत्तर शुक्रवार 27 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

**विभिन्न सरकारी विभागों और सम्बद्ध संस्थानों द्वारा प्रत्युत्तर और जवाबी शपथपत्र दाखिल न किया जाना**

**1235. डा.के.वी.पी.रामचन्द्र राव :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों, पत्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी निकायों द्वारा प्रत्युत्तर और जवाबी शपथपत्र दाखिल न किए जाने के कारण उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कई मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या विभिन्न सरकारी अभिकरणों के प्रतिवादी के रूप में शामिल अदालती मामलों से निपटने और उनमें प्रत्युत्तर और जवाबी शपथपत्र दाखिल करने के संबंध् में सरकार से कोई विशिष्ट अनुदेश प्राप्त हुए हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) और (ख) :** सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

**(ग) :** जी हां। न्‍यायालय सम्‍बन्‍धी मामलों पर कार्यवाही करने के संबंध में निम्‍नलिखित रीति में अनुदेश जारी किया गए हैं:-

(i) प्रत्‍येक मंत्रालय/ विभाग को विधि और न्‍याय मंत्रालय के परामर्श से विभिन्‍न न्‍यायालयों में लम्‍बित मामलों की एक अद्यतन सूची बनाए रखनी होगी ।

(ii) लम्‍बित न्‍यायालय सम्‍बन्‍धित मामलों को सचिव स्‍तर पर साप्‍ताहिक रूप से मानीटर करना होगा जो, बाद में न्‍यायालयों के समक्ष लम्‍बित महत्‍वपूर्ण विषयों और उनकी प्रगति पर भार साधक मंत्री को नियमित रूप से जानकारी दे सकेगा ।

(iii) सरकार की ओर से सामान्‍य अनुक्रम में स्‍थगनों की ईप्‍सा करने का कोई औचित्‍य नहीं होना चाहिए । सरकारी काउंसेलों को यह सुनिश्‍चित करने की सलाह देनी चाहिए कि स्‍थगन की एक नित्‍य क्रिया के विषय के रूप में ईप्‍सा न की जाए । सरकार की ओर से अनगिनत स्‍थगन मांगने/पाने की जांच पड़ताल की जाए उस पर तुरन्‍त सुधारात्‍मक कार्रवाई की जाए ।

(iv) प्रत्‍येक मंत्रालय/विभाग का सभी न्‍यायालय सम्‍बन्‍धी मामलों के सम्‍बन्‍ध में समन्‍वयक के रूप में कार्य करने के लिए एक पर्याप्‍त ज्‍येष्‍ठता वाला नोडल अधिकारी होना चाहिए ।

(v) मंत्रालय/विभागों के अपने सभी काउंसेलों से सम्‍पर्क बनाए रखना चाहिए और उन्‍हें एस एम एस आदि जैसी सभी मोबाइल फोन एप्‍लीकेशन सहित संचार के सभी साधनों के उपयोग की सलाह देनी चाहिए ।

(vi) मंत्रालयों/विभागों को भी नियमित रूप से ऐसे मामलों को मानिटर करना होगा कि जिसमें सरकार की हित की पर्याप्‍त रूप से प्रतिरक्षा नहीं की गई है या जिनको ठीक प्रकार से संचालन नहीं किया गया है और परिणामस्‍वरूप हार हो गई है और विधि और न्‍याय मंत्रालय में इस बात की जांच करने के लिए एक रिपोर्ट भेजनी होगी कि क्या इसमें कोई सुधारात्‍मक कार्रवाई अपेक्षित है ।

प्रतिशपथपत्र/उत्तर फाइल करने के सम्‍बन्‍ध में निम्‍नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा, अर्थात् :-

(i) प्रतिशपथपत्र/उत्तर में प्रत्‍येक मंत्रालय/विभाग का दृष्‍टिकोण बताने की अपेक्षा न्‍यायालय के समक्ष एकीकृत पक्षकथन किया जाए।

(ii) प्रत्‍येक मंत्रालय / विभाग द्वारा प्रत्‍यर्थी के रूप में पृथक शपथपत्र फाइल करने के बजाए सम्‍बन्‍धित मंत्रालय / विभाग द्वारा भारत संघ की ओर से एक सामान्‍य प्रति उत्तर फाइल किया जाए ।

(iii) सम्‍बन्‍धित अन्‍य मंत्रालयों/विभागों के साथ आवश्‍यक परामर्श पूरे होने के पश्‍चात् किसी न्‍यायालय सम्‍बन्‍धी मामले के दौरान प्रतिशपथपत्र फाइल करने सहित प्रत्‍येक प्रक्रम पर समय से कारवाई करने की जिम्‍मेदारी मुख्‍य रूप से प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की है ।

(iv) यदि किसी मामले में न्‍यायालय के आदेश से पृथक् प्रतिशपथ पत्र फाइल किए जाने अपेक्षित है तो यह सुनिश्‍चित कर लेना चाहिए कि एक समन्‍वित दृष्‍टिकोण के लिए यह कार्य सम्‍बन्‍धित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके किया जाए । ऐसे मामलों में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के दृष्‍टिकोण का समर्थन करते हुए एक लघु शपथपत्र भी फाइल किया जा सकता है ।

(v) इस सम्‍बन्‍ध में विधि मंत्रालय के विधि कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों की ओर भी ध्‍यान देना होगा जिसमें यह बताया गया है कि मंत्रालय/विभाग से प्रतिशपथ पत्र को फाइल करने से पहले विधि कार्य विभाग से उसकी विधीक्षा करवाने की अपेक्षा होगी ।

(vi) जैसा की ऊपर उपदर्शित किया गया है कि यदि किसी विशिष्‍ट न्‍यायालय सम्‍बन्‍धी मामले में मंत्रालयों/विभागों के पक्षकथन में भिन्‍नताओं का, यदि कोई हो, पारस्‍परिक परामर्श के माध्‍यम से समाधान कर लेना चाहिए । यह भी सुनिश्‍चित करना होगा कि प्रतिशपथपत्र विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा समुचित विधीक्षा करने के पश्‍चात् ही फाइल किए जाएं ।

(vii) ऐसे सभी मामलों में जहां, पूर्व में दिए गए शपथपत्रों में कथित स्‍थिति में परिस्‍थितियों में परिवर्तन होने के कारण उपान्‍तरण की आवश्‍यकता है या ये वर्तमान सरकार में पक्षकथन से भिन्‍न है तो इस सम्‍बन्‍घ में सचिव स्‍तर पर तुरन्‍त ही पुनर्विलोकन किया जाए कि क्‍या नए सिरे से शपथपत्र फाइल किए जाने की अपेक्षा है । सभी महत्‍वपूर्ण शपथपत्रों के विषय में भार साधक मंत्री को अवगत करवाया जाना चाहिए और उससे शपथपत्र/प्रतिशपथपत्र फाइल किए जाने के पूर्व समुचित मार्गदर्शन देना चाहिए ।

(viii) मुकदमे सम्‍बन्‍धी विषयों के उचित संचालन के लिए सरकारी काउंसेल के साथ सम्‍पर्क बनाए रखने के सम्‍बन्‍ध में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों पर दबाव बनाए रखने हेतु समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए है। सरकारी काउंसेल के साथ समन्‍वय बनाए रखने से निश्‍चित रूप से उत्तर/प्रतिशपथपत्र फाइल करने में होने वाला विलम्‍ब कम होगा । न्‍यायालय सम्‍बन्‍धी मामलों की उचित मानिटरी को सुकर बनाने हेतु सम्‍बन्‍धित अधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए भी सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश भी जारी किए गए हैं जिससे समय से उत्तर फाइल किये जा सकें ।

न्‍यायालय सम्‍बन्‍धी मामलों को डिजिटल रूप से मानिटर करने के लिए पहले से ही लीगल इन्‍फारमेशन मेनेजमेंट एण्‍ड ब्रीफिंग सिस्‍टम (एल आई एम बी एस) नामक सम्‍पूर्ण वेब आधारित एप्‍लीकेशन कार्यान्‍वित की गई है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*